# कार्यालय उप निदेशक, फायर सर्विस, परिक्षेत्र, वाराणसी

पत्र संख्याःडीडी–वीएनएस.एफएस–07–2017/29044/VNS/ Varanasi/182/DD दिनांकः अप्रैल 12 ,2017

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,(भवन),
वाराणसी विकास प्राधिकारण,
वाराणसी

विषयः– श्री बाल कृष्ण नारायण सिंह पुत्र स्व0 लालजी सिंह, श्री देव कृष्ण नारायण सिंह पुत्र स्व0 लालजी सिंह,श्री कैलाश नाथ अलियास नरेन्द्र नारायण सिंह पुत्र स्व0 जितेन्द्र नारायण व श्री आनन्द नाथ अलियास सुरेन्द्र नारायण सिंह पुत्र स्व0 जितेन्द्र नारायण द्वारा आराजी नं0–105/4,106/3,106/4 व 106/6 मौजा–कोईराजपुर, परगना–अठगॉव, तहसील– पिण्डरा, वाराणसी पर प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवन निर्माण हेतु प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में।

संदर्भः– अधिशासी अभियन्ता,(भवन), वाराणसी विकास प्राधिकारण, वाराणसी के पत्रांकः 29/15/ग्रु0 हा0/वि0प्रा0/विन्यास/2015–16 दिनांकः 22.09.2015 एवं आवेदक का प्रार्थना पत्र दिनांकः 09.04.2017 व यू.आई.डी. नं0–2017/29044/VNS/ Varanasi/ 182/DD

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में प्रस्तावित स्थल का प्रस्तुत मानचित्र के अनुसार मुख्य अग्निशमन अधिकारी/अग्निशमन अधिकारी चेतगंज, वाराणसी द्वारा अग्निशमन सुरक्षा एवं जीवरक्षा के दृष्टिकोण से स्थलीय निरीक्षण कराया गया तो उनकी आख्या दिनांकः 12.04.2017 एवं मुख्य अग्निशमन अधिकारी, वाराणसी की संस्तुति दिनांकः12.04.2017 का सुसंगत मानको के अनुसार परिशीलन किया गया, जिसका विवरण निम्नवत् हैः–

**A. भवन की संरचनाः–**

| NET PLOT AREA OF PROJECT | | = 2915.33 SQMT |
|---|---|---|
| SR. NO. | FLOOR | COVD. AREA IN SQ.MT. |
| 01 | BASEMENT FLOOR PARKING AREA | 1445.43 |
| 02 | STILT COVERED AREA | 899.41 |
| 03 | STILT PARKING AREA | 928.57 |
| 04 | STILT FLOOR SHOP AREA | 30.00 |
| 05 | FIRST FLOOR | 899.41 |
| 06 | SECOND FLOOR | 899.41 |
| 07 | THIRD FLOOR | 899.41 |
| 08 | FOURTH FLOOR | 899.41 |
| 09 | FIFTH FLOOR | 899.41 |
| 10 | SIXTH FLOOR | 899.41 |
| 11 | SEVENTH FLOOR | 899.41 |
| 12 | EIGHTH FLOOR | 899.41 |
| 13 | TOTAL FOR F.A.R. | 7225.28 |
| 14 | COVERED AREA OF MUMTY & LIFT MSCHINE ROOM | 80.59 |
| 15 | TOTAL COVERED AREA FOR CHARGES | 9620.71 SQ.MT |
| 16 | TOTAL NO OF UNITS | 80 UNITS |
| 17 | F.A.R. ACHIEVED | 2.47 |

**A. भवन का अधिभोग एवं हैजार्ड श्रेणीः–** प्रस्तावित भवन का अधिभोग एन.बी.सी. 2005 की आवासीय भवन

––2पर

(योगेश चन्द्र द्विवेदी)
उप निदेशक, फायर सर्विस
वाराणसी परिक्षेत्र, उ0प्र0
वाराणसी

(ए–4)–2 की श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

B. **ढांचागत व्यवस्था है:–**

1. **ऊँचाई**–प्रस्तावित भवन की भूमि तल से ऊँचाई 26.85 मीटर है।
2. **सेटबैक** :–प्रस्तावित भवन का सेटबैक निम्नवत है:–

| | | |
|---|---|---|
| ए– | अग्रभाग– | 09.00 मीटर |
| बी– | पृष्ठभाग– | 09.00 मीटर |
| सी– | पार्श्वभाग प्रथम– | 09.00 मीटर |
| डी– | पार्श्वभाग द्वितीय– | 09.00 मीटर |

सेटबैक नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया–2005 के मानकों के अनुसार सही है। सेटबैक को हमेशा अवरोधमुक्त रखा जायेगा। सेटबैक में किसी प्रकार स्थायी/अस्थायी निर्माण कार्य मान्य नहीं होगा।

3. **पँहुच मार्ग**–प्रस्तावित भवन के मानचित्रों में–66.00 मीटर रोड की चौड़ाई है।
4. **निकास मार्ग**–प्रस्तावित भवन में–02 स्टेयर केस 1.50 मीटर चौड़ाई का बनाया जाना है, जिनकी फ्लोर की समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है।
5. **रिफ्यूज एरिया का विवरण**:–बालकनी के रुप में छोड़ा जाना है।

C. **प्रस्तावित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था एवं जीवरक्षा प्रणाली:–**

नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया–2005 के अनुसार निम्नाकिंत अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थायें पूर्ण किया जाना अनिवार्य है:–

1. **प्रवेश द्वार**–प्रस्तावित भवन में प्रवेश द्वार की चौड़ाई 6.10 मीटर दर्शायी गयी है। द्वार की ऊँचाई 5.00 मीटर से कम न रखी जाय।
2. **निकास मार्ग**–प्रस्तावित भवन के आठवें तल से आने वाले स्टेयर केस को भूतल पर टर्मिनेट कर दिया जाय, किसी भी दशा में स्टेयर केस को उपरी तलों से बेसमेन्ट तक निरन्तरता नहीं होनी चाहिये, या भूतल पर चार घन्टा रेटिंग का स्मोक, चेकडोर आई0एस0–3614(पार्ट–1):1966 के अनुरुप लगाया जाय।
3. **भूमिगत टैंक**–एन0बी0सी0–2005 मानकों के अनुसार आवश्यक नहीं है।
4. **पम्प**–एन0बी0सी0–2005 मानकों के अनुसार आवश्यक नहीं है।
5. **होजरील्स**–प्रस्तावित भवन में होजरील्स लैण्डिग वाल्व आई0एस0–3844 मानकों के अनुसार स्थापित किया आवश्यक है।
6. **वेटराइजर/डाउनकमर सिस्टम**:–प्रस्तावित भवन में डाउनकमर सिस्टम नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया–2005 के मानकों के अनुसार स्थापित किया जाना आवश्यक है।
7. **यार्ड हाईड्रेन्ट**:–प्रस्तावित भवन परिसर में यार्ड हाईड्रेन्ट होज कैबिनेट एवं उसमें डिलीवरी होज पाइप तथा ब्रान्च एवं फायर सर्विस इनलेट का प्राविधान आई0एस0–13039:1991 के अनुसार स्थापित किया जाना आवश्यक है।
8. **हस्त चालित इलैक्ट्रिक फायर अलार्म सिस्टम**:–प्रस्तावित भवन में मैनुअली आपरेटेड इलैक्ट्रिक फायर अलार्म सिस्टम का प्राविधान नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया–2005 के मानकों के अनुसार स्थापित किया जाना आवश्यक है।
9. **स्वः चालित डिट्रेक्शन एण्ड अलार्म सिस्टम**:–प्रस्तावित भवन में आटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड अलार्म सिस्टम का प्राविधान नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया–2005 के मानकों के अनुसार आवश्यक नहीं है।
10. **स्वचालित स्प्रिंकलर सिस्टम**:–प्रस्तावित भवन के बेसमेन्ट आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया–2005 के मानकों के अनुसार स्थापित किया जाना आवश्यक है।
11. **टेरिस टैंक**–प्रस्तावित भवन के टेरिस पर 25,000 लीटर क्षमता को टेरिस टैंक स्थापित कराया जाना आवश्यक है।
12. **टेरिस पम्प**:–प्रस्तावित भवन के टेरिस पर 900 एल0पी0एम0 क्षमता का टेरिस पम्प स्थापित कराया जाना आवश्यक है।
13. **प्राथमिक अग्निशमन उपकरण(फायर एक्सटिंग्यूशर)**:–प्रस्तावित भवन में प्राथमिक अग्निशमन उपकरण(फायर एक्सटिंग्यूशर) आई.एस.–15683:2006 के अनुसार स्थापित कराया जाना आवश्यक है।
14. **एक्जिट साइनेज**:–प्रस्तावित भवन में एक्जिट साइनेटज स्थापित किया जाना आवश्यक है।

—3पर

(योगेश बाबू द्विवेदी)
उप निदेशक, फायर सर्विस
वाराणसी परिक्षेत्र, उ0प्र0
वाराणसी

15. **पी0ए0 सिस्टमः—** पी0ए0 सिस्टम की व्यवस्था का प्राविधान सम्पूर्ण भवन में किया जाना आवश्यक है।
16. प्रस्तावित भवन के बेसमेन्ट में दो रैम्प का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। रैमप की चौड़ाई 3.50 मीटर से कम न रखा जाय एवं उसका ढ़ाल 1:8 व 1:10 के मध्य रखा जाय, एवं उस पर फिसलन रहित सतह बिछाई जाना आवश्यक होगा।
17. प्रस्तावित भवन में वैकल्पिक विद्युत श्रोत हेतु जनरेटर की व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।
18. प्रस्तावित भवन में विद्युत व्यवस्था आई0एस0 1646:1997 के अनुरुप किया जाय।
19. बेसमेन्ट में प्रकाश एवं संवातन की समुचित व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।
20. प्रस्तावित भवन की बेसमेन्ट लाइन बिल्डिंग इनवेलप के बाहर है, जिससे बेसमेन्ट के स्लैब का 45 टन लोड वियरिंग क्षमता का प्रमाण पत्र स्ट्रक्चलर इंजीनियर से प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
21. बेसमेन्ट का प्रयोग नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया—2005 के पार्ट III के क्लाज 12.9 के अनुरुप किया जाना अनिवार्य होगा।
22. अनुमोदित मानचित्र में विचलन / परिवर्तन / परिवर्द्धन की दशा में निर्गत प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
23. समस्त निर्माण एवं जीवरक्षा प्रणाली तथा अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया—2005 के अनुरुप की जायेगी।

उपरोक्तानुसार श्री बाल कृष्ण नारायण सिंह पुत्र स्व0 लालजी सिंह, श्री देव कृष्ण नारायण सिंह पुत्र स्व0 लालजी सिंह,श्री कैलाश नाथ अलियास नरेन्द्र नारायण सिंह पुत्र स्व0 जितेन्द्र नारायण व श्री आनन्द नाथ अलियास सुरेन्द्र नारायण सिंह पुत्र स्व0 जितेन्द्र नारायण द्वारा आराजी नं0— 105 / 4, 106 / 3, 106 / 4 व 106 / 6 मौजा—कोईराजपुर, परगना—अठगॉव, तहसील— पिण्डरा, वाराणसी पर प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवन निर्माण हेतु प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि आवेदक द्वारा उक्त भवन में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्रस्तावित प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 एवं यथा संशोधित 2016 तथा नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया—2005 में उल्लेखित मानकों के अनुसार भौतिक रूप से स्थापित कर उनका निरीक्षण / परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अन्तिम अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा।

**उपरोक्त शर्तो का पालन नहीं किये जाने पर निर्गत प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।**

**संलग्नक**— अनुमोदित मानचित्र।

8/5/17

**(योगेश बाबू द्विवेदी )**
**उप निदेशक, फायर सर्विस**
**परिक्षेत्र, वाराणसी**

प्रतिलिपिः—

1. मुख्य अग्निशमन अधिकारी, वाराणसी, को उनके संस्तुति दिनांकः 12.04.2017 के क्रम में सूचनार्थ।
2. अग्निशमन अधिकारी, चेतगंज, वाराणसी को उनकी आख्या दिनांकः 12.04.2017 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. श्री बाल कृष्ण नारायण सिंह पुत्र स्व0 लालजी सिंह, श्री देव कृष्ण नारायण सिंह पुत्र स्व0 लालजी सिंह,श्री कैलाश नाथ अलियास नरेन्द्र नारायण सिंह पुत्र स्व0 जितेन्द्र नारायण व श्री आनन्द नाथ अलियास सुरेन्द्र नारायण सिंह पुत्र स्व0 जितेन्द्र नारायण द्वारा आराजी नं0— 105 / 4,106 / 3,106 / 4 व 106 / 6 मौजा—कोईराजपुर, परगना—अठगॉव, तहसील— पिण्डरा, वाराणसी को उपरोक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रेषित।